कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0 एल0ए0/एस0एस0 –1/श0स्था0नि0/14464/2153 दिनांकः– 26.12.14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, इसलामपुर के वर्ष 2012–13 से 13–14 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 528/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

26/12/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
08 JAN 2015
संख्या 174
बिहार, पटना

158

नगर पंचायत, इसलामपुर

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 528/14–15

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, इसलामपुर (नालंदा)
2.	लेखा वर्ष	2012–13 से 13–14
3.	अंकेक्षण की अवधि	02.06.14 से 07.06.14
4.	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	1. श्री राजेश कुमार–III, स0ले0प0अ0 2. श्री आलोक कुमार–III, ले0प0 3. श्री शिवराम, ले0प0
5.	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री संजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी
6.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श हुआ	हाँ।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

1157

भाग– I I (क) – शून्य

भाग– I I (ख)

कंडिका– 1 संपत्तिकर (होल्डिंग टैक्स) की बकाया राशि की वसूली नहीं कुल ₹14.03 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 में यह प्रावधान किया गया है कि नगर विकास राज्य सरकार की स्वीकृति से नगरपालिका क्षेत्र में करों तथा शुल्कों को अधिरोपित करेगी। लेकिन नगर पंचायत द्वारा 2012–13 तक संपत्तिकर का अधिरोपन नहीं किया गया था।

नगर पंचायत के होल्डिंग टैक्स संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि बिहार नगरपालिका संपत्तिकर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के अधिसूचना संख्या 1137 दिनांक 08/05/13 के आलोक में 2013–14 के संपत्ति कर का अधिरोपन किया गया था। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध विवरणी के अनुसार 2013–14 के कुल वार्षिक माँग ₹2695791 के विरूद्व ₹1292244 की वसूली की गई एवं ₹1403547 बकाया राशि की वसूली नहीं की गई थी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि होल्डिंग टैक्स वसूली की गति बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के कारण प्रभावित हुआ है। पुनः बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतः जवाब के आलोक में संपत्तिकर की राशि ₹14.03 लाख वसूलनीय है।

कंडिका– 2 दुकान किराया की वसूली नहीं होना –₹ 3.30 लाख

नगर पंचायत, इसलामपुर द्वारा स्वयं के स्रोतों/एवं वित्त पोषित योजनाओं द्वारा दुकान का निर्माण कराया गया था एवं उन्हें मासिक किराया पर दिया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में उपलब्ध दुकान बकाया किराया की विवरणी के अनुसार ₹330700 दुकान किराया के रूप में बकाया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा पालिका मार्केट से संबंधित बकाया की वसूली जल्द से जल्द कर ली जायेगी। इस मार्केट को भी CWJC द्वारा प्रभावित करने के कारण ही किराया वसूली में विलम्ब हुआ है।

अतः उत्तर के आलोक में ₹3.30 लाख संबंधित दुकानदारों से वसूलनीय है।

कंडिका– 3 आयकर कटौती की राशि ₹9.31 लाख संबंधित निधि से जमा नहीं

लेखाओं की लेखापरीक्षा के अंतर्गत उपलब्ध कराए गये विवरणी के अनुसार विभिन्न मद के अंतर्गत चलाई गई योजना पर आयकर कटौती की गई थी। परंतु इसे संबंधित निधि में जमा नहीं कराया गया था।

क0सं0	मद (योजना)	आयकर कटौति राशि (रू0)
1	4th	242872
2	IDSMT	141026
3	BRGF	230928
4	SGSRY	27789

5	13th	50068
6	नागरिक सुविधा	224419
7	ब्याज निधि	14500
	कुल	**931602**

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा निकाले गये राशि आयकर की कुछ राशि उप कोषागार द्वारा भुगतान कर जमा किया जा चुका है। शेष वसूली राशि अविलम्ब आयकर विभाग को जमा कर दी जायेगी।

अतः राशि ₹931602 संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए तब तक राशि आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका– 4 नहीं जमा/विविध–रसीद (M- receipt)

वर्ष 2012–13 से वर्ष 2013–14 के विविध रसीद के नमूना जाँच के क्रम में विविध रसीद की राशि का रोकड़पाल रोकड़ पंजी में मिलान के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विविध रसीद की राशि नहीं जमा है। विवरण निम्न है–

क्र.सं.	विविध रसीद सं. एवं दिनांक	राशि (₹)	नहीं जमा राशि (₹)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
01	MR No. 257 dt. 25.02.2014	1,100.00	1,100.00	

उपरोक्त जमा राशि ₹1,100.00 को लेखापरीक्षा अवधि में जमा कर दिया गया।

कंडिका– 5 मोबाईल टावर की बकाया राशि ₹11.27 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08/10/12 को अधिसूचित किया गया है।

नगर निकाय द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत 11 टावर अधिष्ठापित थे। उपर्युक्त नियमावली 6(2) के अनुसार अधिष्ठापित मोबाईल टावरों पर ₹1127600 शुल्क बकाया था। (विवरणी संलग्न KD-II)

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मोबाईल टावर की बकाया राशि से संबंधित आपत्ति के विषय में कहना है कि टावर संचालक द्वारा सी0डब्लू0 जे0सी0 के द्वारा केस दायर कर वसूली प्रभावित किया जा रहा है। अतः विभागीय स्तर से माननीय उच्च न्यायालय में अपना कानूनी पक्ष रखकर इस विवाद को समाप्त कराये जाने हेतु भवदीय स्तर से निदेश देने की कृपा की जा सकती है। ताकि वसूली प्राप्त किया जा सके।

उत्तर के आलोक में उचित प्रक्रिया द्वारा मोबाईल टावर के बकाया राशि की वसूली की जाए।

कंडिका– 6 श्रम उपकर की कटौती नहीं ₹3.78 लाख

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितंबर 1996 की अधिसूचना शीर्ष भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0– 865 दिनांक 18/08/2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया, इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

परंतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों/विवरणी के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2013–14 के दौरान 88 योजनाओं पर नगर पंचायत द्वारा कुल ₹37882502 व्यय किया गया एवं विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती की गई, विवरण निम्न है–

क्र0सं0	योजना मद	वर्ष	योजनाओं की सं0	कुल भुगतान राशि	श्रम उपकर राशि 1%
1	4th Fin.	2012-13 to 2013-14	28	9604494	96045
2	IDSMT	2012-13 to 2013-14	11	5577714	55777
3	BRGF	2012-13 to 2013-14	38	9330216	93302
4	SJSRY	2012-13 to 2013-14	6	1170937	11709
5	13th	2012-13 to 2013-14	2	2158227	21582
6	नागरिक सुविधा	2012-13 to 2013-14	2	9540914	95409
7	ब्याज निधि	2012-13 to 2013-14	1	500000	5000
			88	**37882502**	**378824**

उपरोक्त श्रम उपकर की कटौती की गई राशि 378824 कल्याण बोर्ड को प्रेषित नहीं किये जाने के आपत्ति के आलोक में बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये आपत्ति के तहत उक्त राशि को संबंधित विभाग को जल्द से जल्द भेज दिया जायेगा।

अतः वसूली गई राशि संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तबतक राशि ₹3.78 लाख आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका– 7 कम जमा/नहीं जमा (होल्डिंग टैक्स)

नगर पंचायत, इसलामपुर (नालंदा) के वर्ष 2012–13 से 2013–14 के लेखाओं के नमूना जाँच में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा वसूली की गई राशि नगर पंचायत निधि में या तो कम जमा की गई अथवा नहीं जमा की गई। विवरणी निम्नलिखित है –

क्र0सं0	रसीद बुक सं0	रसीद संख्या	कर संग्राहक के नाम	राशि (रू0)	अभ्युक्ति
1	2	101 से 200	रेखा कुमारी	69	कम जमा
2	4	301 से 400	रेखा कुमारी	783	कम जमा
3	6	501 से 600	कमलेश कु0 सिंह	271	कम जमा
4	25	2400 से 2500	"	149	कम जमा
5	44	4395 से 4396	रेखा कुमारी	1886	कम जमा
6	46	4542 से 4544	"	1586	कम जमा
7	49	4801 से 4810	"	748	कम जमा
8	47	4606 से 4607	"	1280	नहीं जमा
9	48	4703	"	90	नहीं जमा
10	52	5115 से 5116	"	2736	नहीं जमा
11	53	5211	"	576	नहीं जमा
12	57	5614	"	760	नहीं जमा
13	60	5902 से 5905	"	3216	नहीं जमा
14	61	6001 से 6003	"	407	नहीं जमा
15	63	6201 से 6253	मनोज कु0 सिंह	45601	नहीं जमा
				60158.00	

आपत्ति के आलोक में लेखापरीक्षा अवधि में दिनांक–06/06/14 को स्टेट बैंक खाता सं0–11417711002 में रेखा कुमारी कैशियर द्वारा जमा किया गया।

कंडिका– 8 बंदोबस्ती की रकम वसूली नहीं ₹447200

नगर पंचायत, इसलामपुर की परिसम्पत्ति अर्थात बस स्टैंड तालाब आदि की बंदोबस्ती सालाना बोली द्वारा की जानी है। बंदोबस्ती की रकम बोली लगाने वाले से बन्दोबस्ती के समय ही वसूल की जाती है और यदि बोली की रकम अधिक हो तो उसे दो या तीन किस्तों में वसूल किया जा सकता है। लेखा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के संचिका के लेखाओं की लेखापरीक्षा नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में बंदोबस्ती की बकाया राशि ₹4.47 लाख की वसूली नहीं की गई थी जो नीचे वर्णित है–

क्र0सं0	बंदोबस्ती अवधि	सैरात का विवरण	बंदोबस्ती राशि	जमा का विवरण	बकाया राशि
1	2012-13	सब्जी उर्दो बाजार एवं मवेशी फाटक	662000	355000/MR 375/23.3.12 100000/ 11.6.13 Total - 455000	207000
2	2013-14	वाहन पड़ाव व्यवसायिक वाहनों से कर वसूली	745950	100000/166/14.08.13 200000 – 146/31.3.13 100000-213/06.01.14 100000-250/15.02.14 175000-251/18.02.14	70950
3	2013-14	सब्जी उर्दो बाजार	339250	100000/ MR 145/31.03.13 100000/MR 207/18.12.13 100000/MR 249/	39250
4	2013-14	जलकर सैरात पूर्वी पोखर	260100	130100/MR 147/30.3.13	130000
					447200

153

लेखापरीक्षा टिप्पणी –

1. बंदोबस्ती की बकाया राशि 2012–13 एवं 2013–14 में दिसंबर, 2012 एवं दिसंबर, 2013 तक किस्तों में वसूली जानी थी परंतु राशि बंदोबस्तीधारी से नहीं वसूली गई।
2. 2012–13 के लिए बंदोबस्ती में एकरारनामा नहीं किया गया था।
3. बंदोबस्ती के लिए आदेश की प्रति संचिका में नहीं पाई गई थी।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि 2012–13 एवं 2013–14 की बकाया राशि संबंधित लेखापरीक्षा अवधि में ही जमा कर डिपोजिट चालान मिलाया गया है। शेष बकाया हेतु नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर के आलोक में संबंधित बंदोबस्तीधारी से ₹1.40 लाख लेखापरीक्षा अवधि में जमा की गयी और शेष राशि ₹307200 वसूलनीय है।

कंडिका– 9 स्टांप पेपर पर एकरारनामा नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि ₹1.11 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1920/मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा 549 दिनांक 15.03.05 के अनुसार सैरात की बंदोबस्ती में आदेश निर्गत करने से पूर्व बंदोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टांप पेपर पर एकरारनामा किया जाना चाहिए। नगर पंचायत इसलामपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए संचिका के अनुसार 2013–14 में की गई बंदोबस्ती में एकरारनामा नहीं किया गया था और 2012–13 के बंदोबस्ती में ₹100 के स्टांप पर एकरारनामा किया गया था। जिससे सरकारी राजस्व की ₹111910 हानि हुई।

क्र0सं0	वर्ष	सैरात का विवरण	बंदोबस्ती राशि	बंदोबस्ती के 3% मूल्य के स्टांप पर एकरारनामा
1	2012–13	सैरात गबड़ा पूर्वी पोखड़ बुढ़ा नगर	247000	7410
2	2012–13	वाहन पड़ाव	1361000	40830
3	2012–13	सब्जी उर्दो बाजार एवं मवेशी फाटक	662000	19860
4	2013–14	वाहन पड़ाव	745950	22379
5	2013–14	सब्जी उर्दो बाजार	339250	10178
6	2013–14	जलकर सैरात	260100	7803
7	2013–14	पशुहार का सराय	115000	3450
				111910

लेखापरीक्षा टिप्पणी –

1. स्टांप पेपर पर बंदोबस्ती के 3 प्रतिशत मूल्य पर एकरारनामा नहीं करने से ₹1.11 लाख की हानि हुई।
2. बिना एकरारनामा के आदेश किस आधार पर दिया गया।
3. वाहन पड़ाव बंदोबस्ती में 2012–13 की तुलना में 2013–14 में कमी पायी गयी थी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि लेखापरीक्षा के द्वारा एकरारनामा हेतु निकाले गये राशि की वसूली हेतु कारवाई की जा रही है। जल्द से जल्द राशि की वसूली कर ली जायेगी।

अतः स्टांप पेपर पर एकरारनामा की राशि ₹111910 वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका– 10 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय ₹7.13 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0 4न से 1–103/87–123/न.वि.वि. दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगायी गयी है।

परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़ बही के अनुसार इसलामपुर नगर पंचायत में वर्ष 2012–13 से 2013–14 के दौरान ₹713412 दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया, जो कि सरकार के निर्देशों के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था।

अतः दैनिक मजदूरी पर व्यय किस आधार पर किया गया एवं मजदूरी पर किए व्यय की सरकार से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि बोर्ड एवं विभाग के बराबर प्रतिवेदन से दैनिक सफाई मजदूरी से कार्य जनहित में की जाती है। आज की स्थिति में 5 सफाई मजदूरी से कार्य नहीं की जा सकती है। उत्तर संतोषप्रद नहीं है, सरकार से इस संबंध में अग्रेतर दिशा–निर्देश लिया जाय। अतः सरकार से स्वीकृति लिए जाने तक राशि ₹7.13 लाख आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

दैनिक मजदूरी पर भुगतान

क्र0सं0	दिनांक	राशि (₹ में)	अभ्युक्ति
1	10.05.2012	38811	दैनिक मजदूरी वेतन का भुगतान
2	18.08.2012	64128	———————"—————————
3	27.10.2012	77088	———————"—————————
4	31.12.2012	44492	———————"—————————
5	01.01.2013	235253	———————"—————————
6	12.08.2013	50728	———————"—————————
7	03.10.2013	50728	———————"—————————
8	01.11.2013	25878	———————"—————————
9	10.01.2014	50728	———————"—————————
10	08.03.2014	50214	———————"—————————
11	31.03.2014	25364	———————"—————————
		713412	

(151)

TAN

कंडिका– 1 सामग्री क्रय ₹91.97 लाख

नगर पंचायत, इसलामपुर के लेखाओं के लेखापरीक्षा के अंतर्गत रोकड़ बही नमूना जाँच अंतर्गत निम्न सामग्री पर भुगतान किया गया था –

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	राशि
1	11.07.12	हाईमास्ट लाईट भुगतान	5228200
2	21.09.12	हाईमास्ट लाईट भुगतान	677000
3	27.11.12	सोलर स्ट्रीट लाईट, बैट्री भुगतान	250000
4	10.02.13	बैट्री, बल्ब आदि के बदलाव के विरूद्ध एवं 7 नए अधिष्ठापन	279460
5	26.03.13	68 कूडेदान	2175620
6	13.01.14	हाईमास्ट लाईट भुगतान	586800
			9197080

लेखापरीक्षा में संचिका या अभिश्रव उपलब्ध कराया गया था।

सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत, इसलामपुर की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी ऋण पंजी/ सम्पति पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसूली हेतु प्रयास किए जाए। वार्षिक लेखे, बजट इत्यादि का संधारण नहीं किया जा रहा था। नगर पंचायत, इसलामपुर प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए। नगर पंचायत प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सूचनात्मक बनाने हेतू विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

–हस्ता0–
(राजेश कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
–––सह–––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

संo–एलoएo / एसoएसo–1 / शoस्थाoनिo दिनांक

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, इसलामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गये सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14464 / 2153 दिनांक 26.12.14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, नालन्दा

26/12/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

परिशिष्ट -1 नगर पंचायत इस्लामपुर

लेखापरीक्षा के दौरान अप्रस्तुत अभिलेख :-

1. Budget estimate
2. Advance Register
3. Property register
4. Log Book of vehicles
5. Holding Tax. DCR
6. settlement bills
7. Loan Appro. register
8. Deposit Register
9. Investment Register
10. Leave A/C.
11. Fuel A/C
12. Rent Register
13. Compliance Report of Previous Audit Report
14. Fixed Demand Register.

AAO

परिशिष्ट - 7 नगर पंचायत खलीमपुर

लेखापरीक्षा के दौरान अप्रस्तुत अभिलेख :-

1. Budget estimate
2. Advance Register
3. Property register
4. Log Book of vehicles
5. Holding Tax. (DCR)
6. settlement bills
7. Loan Appo. register
8. Deposit Register
9. Investment Register
10. Leave A/C
11. Fuel A/C
12. Rent Register
13. Compliance Report of Previous Audit Report
14. Fixed Decoond Register.

AAO

परिशिष्ट– 3

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका–   से संदर्भित

क. सं.	कंडिका सं.	आपत्ति के अधीन रखी गई राशि (₹ में)	लेखापरीक्षा अवधि में वसूली गयी राशि (₹ में)	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि (₹ में)
1	1	---	--	1403547.00
2	2	---	--	330700.00
3	3	931602.00	---	---
4	4	---	1100.00	---
5	5	---	---	1127600.00
6	6	378824.00	---	---
7	7	---	60158.00	---
8	8	---	140000.00	307200.00
9	9	---	---	111910.00
10	10	713412.00	---	---
कुल		2023838.00	201258.00	3280957.00